



## विचार बिन्दु

त्याग यह नहीं कि मोटे और खुरदरे वस्त्र पहन लिए जायें और सूखी रोटी खायी जाये, त्याग तो यह है कि अपनी हँचा अभिलाषा और तृष्णा को जीता जाये। -सुफियान सौरी

## संदर्भ पश्चिम बंगाल अपराजिता कानून

# कानून नहीं, कानून के भय से ही बचाया जा सकता है निर्भयाओं को

आ

विरकार कोलकाता आरजी कर अस्पताल रेप व ऐप के बाद हत्या घटना के बाद जिस तरह से देशव्यापी माहौल बना, उसके परिणाम के रूप में पश्चिम बंगाल सकारा द्वारा अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (मार्किंग बंगाल आपराधिक कानून एवं संसोधन) विधानसभा से पारित हो गया। किंतु कानून तक सख्त बनाया गया है? सबाल यह भी नहीं है कि कानून में किस तरह से जांच से लेकर सजा तक की समय सीमा तक की गई है? सबाल यह भी नहीं है कि कानून बनने के बाद जिस तरह से कानून में बदलाव का संख्यों के प्रावधान किये गये, जिस तरह से पॉक्सन्स एक के तहत कार्यालयी की बात हुई और जिस तरह से देश में व्हरिटी न्यूयर्क के लिए फास्ट ड्रेक स्पेशल अदालत और पाकिस्तान अदालत बढ़ाई गई उसके बाद भी हालात में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहे हैं। बल्कि यह कहा जाएं तो ज्यादा ठीक होगा कि-'ज्यों-ज्यों दवा को गई, मर्ज बढ़ा ही गया'। निर्भया कानून के चार दर्जियों को फारी सीज सजा के बावजूद महिलाओं के खिलाफ रेप व हत्या के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है अपने देखा जाएं तो पिछले 12 साल में रेप-हत्याकानों के मामलों में बढ़ोतारी ही देखने के पाल रही है।

दिसंबर 2012 में जब निर्भया को भुआ हुआ तो उसके सामने नहीं थी जिस तरह से देशव्यापी आक्रोश देखने को मिला उसके बाद जिस तरह से 2013 में नवा आपराधिक कानून लाकर सरकार ने सख्ती की मंशा दिखाई उसके बावजूद कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। 2015 में किशोर न्याय अधिनियम के माध्यम से 16-18 साल के दोषियों को भी काइंग रियायत नहीं देने के प्रावधान किये गये और 2016-2020 में 1023 फास्ट ड्रेक स्पेशल अदालत और 389 पॉक्सन्स कोर्टों के गठन के बावजूद अपराधियों में किसी तरह से भय की बात बरकरार नहीं आ रही है। बल्कि यह कहा जाएं तो ज्यादा ठीक होगा कि-'ज्यों-ज्यों दवा को गई, मर्ज बढ़ा ही गया'

निर्भया कानून के चार दर्जियों को फारी सीज सजा के बावजूद महिलाओं के खिलाफ रेप व हत्या के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है अपने देखा जाएं तो पिछले 12 साल में रेप-हत्याकानों के मामलों में बढ़ोतारी ही देखने के पाल रही है।

दिसंबर 2012 में जब निर्भया को भुआ हुआ तो उसके सामने नहीं थी जिस तरह से देशव्यापी आक्रोश देखने को मिला उसके बाद जिस तरह से 2013 में नवा आपराधिक कानून लाकर सरकार ने सख्ती की मंशा दिखाई उसके बावजूद कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला।

2015 में किशोर न्याय अधिनियम के माध्यम से 16-18 साल के दोषियों को भी काइंग रियायत नहीं देने के प्रावधान किये गये और 2016-2020 में 1023 फास्ट ड्रेक स्पेशल अदालत और 389 पॉक्सन्स कोर्टों के गठन के बावजूद अपराधियों में किसी तरह से भय की बात बरकरार नहीं आ रही है। बल्कि यह कहा जाएं तो ज्यादा ठीक होगा कि-'ज्यों-ज्यों दवा को गई, मर्ज बढ़ा ही गया'

निर्भया कानून के चार दर्जियों को फारी सीज सजा के बावजूद महिलाओं के खिलाफ रेप व हत्या के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है अपने देखा जाएं तो पिछले 12 साल में रेप-हत्याकानों के मामलों में बढ़ोतारी ही देखने के पाल रही है।

तस्वीर का एक पहलू यह भी है कि ऐसे मामलों में भी सभी लोग एक ना होकर के राजनीतिक

प्रायदंड नुकसान के तराजू पर तोलकर प्रतिक्रिया देते हैं। मानवता के लिए इससे अधिक कलंक की दूसरी बात क्या होगी? जिस तरह से घटना होने के बाद एक पक्ष बचाव में तर्क गढ़ने लगता है तो दूसरा पक्ष आंदोलन, प्रदर्शन आदि के माध्यम से जितना लाभ उठाने का प्रयास करते हैं यह दोनों ही स्थितियां मानवता के लिए शर्मनाक हैं।

का प्रयास करते हैं यह दोनों ही स्थितियां मानवता के लिए शर्मनाक हैं।

ऐसा नहीं है कि ऐप व उसके बाद हत्या जीरी घटनाएं हमारे देश में ही होती हैं, बल्कि कहा जाये तो यह वैश्विक समस्या है। निर्भया को टाइप पर ही मीट अधियान में गति पकड़ी थी, किस तरह से महिलाएं सुखर हो रही थीं, वह अपने आप से एक सशक्त आदेलन या कहे कि महिलाकीरण की दिशा में बदला करक्षम था, पर इससे देश-विनायम में महिला अपराध खासगौर से रेप, गेंगरेया या इसी तरह की घटनाओं में तनिक मत्र भी कमी नहीं आई है। हालिया दिनों में ही सिने संसार में किस तरह से महिला अभिनेत्रियों के शोषण की मुखरता से चर्चा हुई है वह भी रुपहें पर्दे के पीछे की कारी कहानी बर्बाद कर दी गयी है। यदि आकड़ों की भाषा में ही बात कहें तो निर्भया पैपिसोड के समय 4915 मामले सामने आये थे तो 2016 में सर्वाधिक 38947 आपराध समान आये। 2020 के बाकी 30 हाफा से अधिक ही रहे। 2022 के आंकड़ों की भावत करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के इस तरह के 31516 मामले आएं यानी कि 2012 के निर्भया पैपिसोड और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश ही नहीं विश्वव्यापी आक्रोश व जनचेतना के बावजूद अपराध में कमी नहीं आ रही से सापेह की जाती है कि कहीं को नहीं आ रही तो सप्त वर्ष तक रुपहें पर्दे के अंतर्माला देखने के बावजूद अपराधी प्रवृत्ति के लाग बेंचीक इस तरह में भय ही नहीं रहा। ऐसा निर्भया के अंतर्माला देखने के बावजूद अपराध की दिशा में बदला करक्षम था, पर इस तरह से लगता भी नहीं है। यदि आकड़ों की भाषा में ही बात कहें तो निर्भया पैपिसोड के समय 4915 मामले सामने आये थे तो 2016 में सर्वाधिक 38947 आपराध समान आये। 2020 के बाकी 30 हाफा से अधिक ही रहे। 2022 के आंकड़ों की भावत करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के इस तरह के 31516 मामले आएं यानी कि 2012 के निर्भया पैपिसोड और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश ही नहीं विश्वव्यापी आक्रोश व जनचेतना के बावजूद अपराध में कमी नहीं आ रही से सापेह की जाती है कि कहीं को नहीं आ रही तो सप्त वर्ष तक रुपहें पर्दे के अंतर्माला देखने के बावजूद अपराध की दिशा में बदला करक्षम था, पर इस तरह से लगता भी नहीं है। यदि आकड़ों की भाषा में ही बात कहें तो निर्भया पैपिसोड के समय 4915 मामले सामने आये थे तो 2016 में सर्वाधिक 38947 आपराध समान आये। 2020 के बाकी 30 हाफा से अधिक ही रहे। 2022 के आंकड़ों की भावत करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के इस तरह के 31516 मामले आएं यानी कि 2012 के निर्भया पैपिसोड और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश ही नहीं विश्वव्यापी आक्रोश व जनचेतना के बावजूद अपराध में कमी नहीं आ रही से सापेह की जाती है कि कहीं को नहीं आ रही तो सप्त वर्ष तक रुपहें पर्दे के अंतर्माला देखने के बावजूद अपराध की दिशा में बदला करक्षम था, पर इस तरह से लगता भी नहीं है। यदि आकड़ों की भाषा में ही बात कहें तो निर्भया पैपिसोड के समय 4915 मामले सामने आये थे तो 2016 में सर्वाधिक 38947 आपराध समान आये। 2020 के बाकी 30 हाफा से अधिक ही रहे। 2022 के आंकड़ों की भावत करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के इस तरह के 31516 मामले आएं यानी कि 2012 के निर्भया पैपिसोड और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश ही नहीं विश्वव्यापी आक्रोश व जनचेतना के बावजूद अपराध में कमी नहीं आ रही से सापेह की जाती है कि कहीं को नहीं आ रही तो सप्त वर्ष तक रुपहें पर्दे के अंतर्माला देखने के बावजूद अपराध की दिशा में बदला करक्षम था, पर इस तरह से लगता भी नहीं है। यदि आकड़ों की भाषा में ही बात कहें तो निर्भया पैपिसोड के समय 4915 मामले सामने आये थे तो 2016 में सर्वाधिक 38947 आपराध समान आये। 2020 के बाकी 30 हाफा से अधिक ही रहे। 2022 के आंकड़ों की भावत करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के इस तरह के 31516 मामले आएं यानी कि 2012 के निर्भया पैपिसोड और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश ही नहीं विश्वव्यापी आक्रोश व जनचेतना के बावजूद अपराध में कमी नहीं आ रही से सापेह की जाती है कि कहीं को नहीं आ रही तो सप्त वर्ष तक रुपहें पर्दे के अंतर्माला देखने के बावजूद अपराध की दिशा में बदला करक्षम था, पर इस तरह से लगता भी नहीं है। यदि आकड़ों की भाषा में ही बात कहें तो निर्भया पैपिसोड के समय 4915 मामले सामने आये थे तो 2016 में सर्वाधिक 38947 आपराध समान आये। 2020 के बाकी 30 हाफा से अधिक ही रहे। 2022 के आंकड़ों की भावत करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के इस तरह के 31516 मामले आएं यानी कि 2012 के निर्भया पैपिसोड और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश ही नहीं विश्वव्यापी आक्रोश व जनचेतना के बावजूद अपराध में कमी नहीं आ रही से सापेह की जाती है कि कहीं को नहीं आ रही तो सप्त वर्ष तक रुपहें पर्दे के अंतर्माला देखने के बावजूद अपराध की दिशा में बदला करक्षम था, पर इस तरह से लगता भी नहीं है। यदि आकड़ों की भाषा में ही बात कहें तो निर्भया पैपिसोड के समय 4915 मामले सामने आये थे तो 2016 में सर्वाधिक 38947 आपराध समान आये। 2020 के बाकी 30 हाफा से अधिक ही रहे। 2022 के आंकड़ों की भावत करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के इस तरह के 31516 मामले आएं यानी कि 2012 के निर्भया पैपिसोड और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश ही नहीं विश्वव्यापी आक्रोश व जनचेतना के बावजूद अपराध में कमी नहीं आ रही से सापेह की जाती है कि कहीं को नहीं आ रही तो सप्त वर्ष तक रुपहें पर्दे के अंतर्माला देखने के बावजूद अपराध की दिशा में बदला करक्षम था, पर इस तरह से लगता भी नहीं है। यदि आकड़ों की भ











